Ad So [illegible] 09/7/15

संख्या-पी-17 /14-2-2015-800(68)/2015

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 08 जुलाई 2015

विषय- जनपद सोनभद्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कनहरा से पूरबटोला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.30 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2266/11-सी-यू0पी037/2015, दिनांक 15-6-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासन स्तर पर सामान्य अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न अभिलेख पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है:-

(1) वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफ0आर0ए0) से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जबकि वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न होना चाहिये।

(2) प्रस्ताव के पृष्ठ-53, 54, 55 रक्षित प्रमाण पत्र में नाम/पदनाम/मोहर रहित है, सम्बंधित प्रमाण पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम/मोहर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक /11-सी-यू0पी0-037/2015 दिनांक [illegible] जुलाई 2015
प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को शासन द्वारा वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
(1) प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
(2) अधिशासी अभियन्ता, [illegible] लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)